**जनपद कौशाम्बी, आगरा मण्डल भ्रमण अवधि दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015**

डा0 प्रवेश कुमारी शर्मा, संयुक्त निदेशक (नगरीय) के नेतृत्व में भ्रमण टीम द्वारा इलाहाबाद मण्डल के जनपद कौशाम्बी का भ्रमण किया गया। जनपद में अनुश्रवण के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकाश में आये। इनका इकाईवार विवरण निम्न है।

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिराथू (एफ.आर.यू.),कौशाम्बी**

- मेन रोड से अस्पताल में जाने वाले मार्ग पर कोई संकेतक या बोर्ड नहीं लगाया गया था। संकेतक बोर्ड लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम, ओ. टी. एवं वार्ड के पंखों में धूल जमी हुई है तथा बाथरुम अत्यन्त गन्दा था। बायो वेस्ट सेग्रीग्रेशन एवं डिस्पोजल, स्पिल मैनेजमेंट, थ्री बकेट मापिंग आदि के सम्बन्ध में अस्पताल कर्मियों को समुचित जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। माह अप्रैल से दिसम्बर 2015 की अवधि में 111 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
- सी.एच.सी. में अप्रैल से दिसम्बर 2015 की अवधि में मात्र 06 सीजेरियन प्रसव कराये गये हैं, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है जबकि अस्पताल में गायनेकोलोजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट एवं पेडीट्रीसियन तैनात है। जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव की सेवा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित मीटिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
- आवश्यक प्रोटोकाल एवं आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने की आवश्यकता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- मेडिकल टीम में पर्याप्त चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल तैनात हैं। टीम के पास आर.बी.एस.के. कार्ड (आंगनबाडी हेतु) अप्रैल 2015 से उपलबध नहीं है। शिक्षा विभाग को जनपद स्तर से आई.एफ.ए. सिरप एवं आई.एफ.ए. टेबलेट अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। टीम के पास आवश्यक संसाधन यथा टार्च, विजन चार्ट एवं बैनर आदि उपलब्ध नहीं थे। टीम हेतु अनुबन्धित वाहन की लागबुक अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन अनुबन्धित किया गया है किन्तु अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक उपलब्ध नहीं करायी गयी। सपोर्टिव सुपरविजन हेतु भ्रमण अधिकारियों की अग्रिम भ्रमण योजना एवं भ्रमण पश्चात भरी हुई निर्धारित चेकलिस्ट का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। डी.पी.एम. कौशाम्बी द्वारा अवगत कराया गया कि चेकलिस्ट सी.एच.सी. द्वारा जनपद स्तर पर भी प्रेषित नहीं की जा रही है।
- सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।

- वित्तीय प्रगति– एफ.एम.आर. का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि सी.एच.सी. की वित्तीय प्रगति अत्यन्त कम है। कैशबुक, लेजर, स्टाक बुक आदि महत्वपूर्ण रिकार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गया।

**<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूरतगंज (नान एफ.आर.यू.), कौशाम्बी</u>**

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। माह अप्रैल से दिसम्बर 2015 की अवधि में 474 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
- सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन अनुबन्धित किया गया है किन्तु अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक उपलब्ध नहीं करायी गयी। सपोर्टिव सुपरविजन हेतु भ्रमण अधिकारियों की अग्रिम भ्रमण योजना एवं भ्रमण पश्चात भरी हुई निर्धारित चेकलिस्ट का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित मीटिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
- आवश्यक प्रोटोकाल एवं आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने की आवश्यकता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।

**<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चायल (नान एफ.आर.यू.), कौशाम्बी</u>**

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। माह अप्रैल से दिसम्बर 2015 की अवधि में 1183 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
- सी.एच.सी. में कार्यरत नर्स मेन्टर द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा था न ही प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित फीडबैक ही दिया जा रहा है।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन अनुबन्धित किया गया है किन्तु अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक उपलब्ध नहीं करायी गयी। सपोर्टिव सुपरविजन हेतु भ्रमण अधिकारियों की अग्रिम भ्रमण योजना एवं भ्रमण पश्चात भरी हुई निर्धारित चेकलिस्ट का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित मीटिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।
- आवश्यक प्रोटोकाल एवं आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने की आवश्यकता है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु महिलाओं के भर्ती रजिस्टर, 108 रजिस्टर, भोजन रजिस्टर तथा 102 ड्राप बैक रजिस्टर में तालमेल नहीं था (संलग्नक 01)। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।

**उपकेन्द्र सल्लाहपुर (एल–1), कौशाम्बी**

- उपकेन्द्र में रनिंग वाटर सप्लाई नही थी। सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। वार्मर फंक्शनल नहीं था।
- लेबर टेबल अत्यन्त गन्दी थी। औसतन मासिक 100 के प्रसव लोड को देखते दो या तीन लेबर टेबल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। प्रसव लोड के सापेक्ष पी.एच.सी. को उपलब्ध होने वाली जे.एस.वाई एडमिन मद की धनराशि का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने की आवश्यकता है।

**जिला महिला अस्पताल– कौशाम्बी**

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। माह अप्रैल से दिसम्बर 2015 की अवधि में 360 लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
- आर.के.एस. के अभिलेखों का अवलोकन से संज्ञान में आया कि रोगी कल्याण समिति के दो बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है एक यूजर्स चार्जेज के लिए एवं रोगी कल्याण समिति के मद में प्राप्त राज्य स्तर से प्राप्त धनराशि के लिए। सुझाव दिया गया कि राज्य स्तर से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार ही रोगी कल्याण समिति के बैंक खातों का संचालन किया जाय। वर्ष 2015–16 में अब तक जी.बी. के बैठक दिनांक 13.08.2015 को एवं ई.सी. की बैठक दिनांक 14.12. 2015 के आयोजित की गयी है। वर्ष 2015–16 में अब तक जिन कार्यों का भुगतान किया गया है उनका उल्लेख समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों में नहीं था। बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार ही कार्यवाही की जाये व तद्नुसार ही भुगतान किया जाने की आवश्यकता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु महिलाओं के भर्ती रजिस्टर, 108 रजिस्टर, भोजन रजिस्टर तथा 102 ड्राप बैक रजिस्टर में तालमेल नहीं था (संलग्नक 01)। जे.एस.एस.के. की रिपोर्ट में महिलाओं के ड्राप बैक की संख्या को विगत कई माह से शून्य दर्शाया जा रहा है जबकि 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से ड्राप बैक लगातार किया जा रहा है। 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा के रजिस्टर तथा जे.एस.एस.के. के अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।

**वी.एच.एन.डी. सत्र ग्राम थाबा अलावल, कौशाम्बी**

- ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। आशा व ए0एन0एम0 को सत्र के आयोजन से पूर्व ड्यू लिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री को सत्र में पोषाहार एवं वजन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं ग्रोथ चार्ट अपडेट करने की आवश्यकता है। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक रजिस्टर, पास बुक आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।